श्री चम्पाई सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

डॉ. रामेश्वर उराँव
वित्त मंत्री, झारखण्ड

डॉ. रामेश्वर उराँव

वित्त मंत्री

का

बजट भाषण

राँची, दिनांक 27 फरवरी, 2024

डॉ. रामेश्वर उराँव

वित्त मंत्री

का

बजट भाषण

राँची, दिनांक 27 फरवरी, 2024

अध्यक्ष महोदय,

!! जोहार !!

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2024–25 का झारखण्ड राज्य का बजट सदन के पटल पर रख रहा हूँ।

प्रस्तावना

2. **अध्यक्ष महोदय,** सर्वप्रथम इस सदन की ओर से मैं वीर–भूमि झारखण्ड के अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुण्डा के साथ तिलका मांझी, बीर बुधू भगत, पोटो हो, सिदो–कानु, चाँद–भैरव, फूलो–झानो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पाण्डे गणपत राय, नीलाम्बर–पीताम्बर और शेख भिखारी सहित सभी नाम–अनाम वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर एकता और अस्मिता की रक्षा की है।

3. **अध्यक्ष महोदय,** हमारे गठबंधन सरकार की जल–जंगल–जमीन की चेतना से संवेदित यह बजट झारखण्ड की महान जनता को समर्पित है। राज्य के गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, मेहनतकश मजदूरों, किसानों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला यह बजट है।

4. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी गठबंधन की सरकार ने वर्ष 2022–23 के लिए **''हमर अपन बजट''** पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया था, जिसमें झारखण्ड वासियों की उत्साहवर्द्धक भागीदारी हुई थी। उक्त क्रम में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से कई एक सुझाव बजट में सम्मिलित भी किये गये थे। वर्ष 2023–24 के लिए हमने इसे जनमन के और करीब लाते हुए **''हमीन कर बजट''** नाम दिया। विभिन्न बजट गोष्ठियों में

राज्य और राज्य के बाहर के विद्वान अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ–साथ झारखण्ड की आम जनता विशेषकर युवापीढ़ी की व्यापक भागीदारी रही है। पूर्व की भाँति वर्ष 2024–25 में भी इन प्रयोगों को जारी रखा गया है।

उपलब्धियों के चार वर्ष :–

5. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी गठबंधन की सरकार ने विकास के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की चुनौतियों को स्वीकार कर अपने अथक प्रयास से राज्य के वित्तीय प्रबंधन को उत्कृष्ट बनाने में सफलता पायी है और हम जनआकांक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरे हैं :–

हर विघ्न को हमने पार किया,
काँटों का झुरमुट साफ किया,
जब घटा कोरोना की छाई,
सुखाड़ उदासी भर लाई,
जब लगा सिमटने केन्द्रीय अनुदान,
वित्तीय प्रबंधन बना समाधान,
हुआ अग्रसर तब अबुआ राज,
कुशल, बेहतर कर काम–काज,
विकास की गाड़ी घर–घर आई,
'सरकार आपके द्वार' खुशियाँ लाई।

6. **महोदय,** विषम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ–साथ उनका ध्यान रखा जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है। सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना,

झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मराङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती–लुंगी–साड़ी योजना, अबुआ आवास योजना सहित कई योजनाएं हमारी गठबंधन की सरकार ने शुरू की हैं। साथ ही, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग तीन गुणा की वृद्धि की गई है। यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी हुई हैं।

7. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2019 के अंतिम दिनों में हमें जनता ने सेवा का अवसर दिया। आज लगभग चार वर्षों में राज्य एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ विकास की ओर अग्रसर है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जिन पुरखों ने देश की आजादी और झारखण्ड राज्य के गठन के लिए संघर्ष किया था, वे हमारी इन कोशिशों से आनन्दित हो कर आशीर्वाद दे रहे होंगे।

8. **अध्यक्ष महोदय,** मजबूत अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए बताना चाहूँगा कि वर्ष 2019–20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1 प्रतिशत था। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022–23 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 6.8 प्रतिशत (Constant Price) रहा। वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत की तुलना में हमारे राज्य का विकास दर 7.1 प्रतिशत (Constant Price) रहा तथा वर्ष 2024–25 में इसका 7.7 प्रतिशत (Constant Price) पर रहने का अनुमान है।

9. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने बेहतर

वित्तीय प्रबन्धन के द्वारा वर्ष 2022–23 में राजकोषीय घाटा को 1.2 प्रतिशत से भी कम रखने में सफलता हासिल की है। इसके फलस्वरूप राज्य का Debt GDP ratio में सुधार हुआ है। यथा–वित्तीय वर्ष 2021–22 में यह 29.59 प्रतिशत था, 2022–23 में 29.46 प्रतिशत हुआ तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में 30.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्तीय 2024–25 में इसे 30 प्रतिशत से न्यून रखने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

10. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि राज्य ने अपने राजस्व आय (कर और गैर कर राजस्व) में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019–20 में कुल राजस्व आय **25,521 करोड़ (25 हजार 5 सौ 21 करोड़)** रुपये थी जो वर्ष 2021–22 में **31,320 करोड़ (31 हजार 3 सौ 20 करोड़)** रुपये हो गयी, वर्ष 2022–23 में 21.16 प्रतिशत वृद्धि के साथ **37,947 करोड़ (37 हजार 9 सौ 47 करोड़)** रुपये हो गई, वित्तीय वर्ष 2023–24 में **48,119 करोड़ (48 हजार 1 सौ 19 करोड़)** रुपये हो गई तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 11.18 प्रतिशत वृद्धि के साथ **53,500 करोड़ (53 हजार 5 सौ करोड़)** रुपये रहने का अनुमान है।

11. **अध्यक्ष महोदय,** हमारे गठबंधन की सरकार के बजट की एक और महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि विगत् चार वर्षों में स्थापना–व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल व्यय में स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात देखा जाय तो यह वर्ष 2019–20 में 47:53 था, जो वर्ष 2024–25 में 38:62 प्रस्तावित है। यह इस बात को इंगित करता है कि वर्त्तमान सरकार स्थापना व्यय की तुलना में राज्य के विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

12. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूँजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर

हमने बल दिया है। वर्ष 2022–23 में यह **18,073 करोड़ (18 हजार 73 करोड़)** रुपये था, जो वर्ष 2023–24 में **25,317 करोड़ (25 हजार 3 सौ 17 करोड़)** रुपये अनुमानित है। आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में 12.47 प्रतिशत की वृद्धि के साथ **28,475 करोड़ (28 हजार 4 सौ 75 करोड़)** रुपये पूँजीगत परिव्यय का आकलन किया गया है।

13. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बोझ की विरासत से बचाने के लिए बेहतर ऋण प्रबन्धन किया गया है।

14. **अध्यक्ष महोदय**, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती हैं। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में सम्भावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 से वर्त्तमान राज्य सरकार द्वारा Sinking Fund में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अबतक इसमें लगभग 1600 करोड़ (16 सौ करोड़) रुपये का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिये ही किया जाएगा। इससे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ–साथ राज्य की साख भी बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में **592 करोड़** रुपये का पुनः निवेश करने का प्रस्ताव है।

15. **अध्यक्ष महोदय**, राज्य के कर्मियों के सेवानिवृत्त होने पर आर्थिक जोखिमों से दूर कर उन्हें एक सुरक्षित आर्थिक स्रोत सुनिश्चित कराने हेतु पुनः लागू पुरानी पेंशन योजना का वित्तीय भार कम करने के दृष्टिकोण से **पेंशन कोष का गठन** किया गया है। इसके लिए वर्ष 2023–24 में **700 करोड़** रुपये पेंशन कोष में निवेश किया गया तथा वर्ष 2024–25 में भी **780 करोड़** रुपये का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है।

वित्तीय संकल्पना

16. **अध्यक्ष महोदय,** मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हमारे पाँव जमीन पर मजबूती से टिके हैं और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए **1,28,900 करोड़ (1 लाख 28 हजार 9 सौ करोड़)** रुपये का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो गत वर्ष से 10.7 प्रतिशत अधिक है।

17. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2024–25 में राजस्व व्यय के लिए **91,832 करोड़ (91 हजार 8 सौ 32 करोड़)** रुपये प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से 8.5 प्रतिशत अधिक है। पूँजीगत व्यय अन्तर्गत गत वर्ष पर 9 प्रतिशत वृद्धि के साथ **37,068 करोड़ (37 हजार 68 करोड़)** रुपये का प्रस्ताव है।

18. बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए **37,124 करोड़ (37 हजार 1 सौ 24 करोड़)** रुपये, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए **45,377 करोड़ (45 हजार 3 सौ 77 करोड़)** रुपये तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए **46,399 करोड़ (46 हजार 3 सौ 99 करोड़)** रुपये उपबंधित किये गये हैं।

19. **अध्यक्ष महोदय**, बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। राज्य को अपने कर राजस्व से **34,200 करोड़ (34 हजार 2 सौ करोड़)** रुपये तथा गैर कर राजस्व से **19,301 करोड़ (19 हजार 3 सौ 1 करोड़)** रुपये केन्द्रीय सहायता से **16,961 करोड़ (16 हजार 9 सौ 61 करोड़)** रुपये तथा केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में **40,338 करोड़ (40 हजार 3 सौ 38 करोड़)** रुपये,

लोक ऋण से **18,000 करोड़ (18 हजार करोड़)** रुपये एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से **100 करोड़ (1 सौ करोड़)** रुपये प्राप्त होंगे।

20. वर्ष 2024–25 में राजकोषीय घाटा **9,500 करोड़ (9 हजार 5 सौ करोड़)** रुपये होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित GSDP का 2.02 प्रतिशत है।

21. वर्ष 2024–25 में राज्य का आर्थिक विकास दर वर्ष 2011–12 के Constant Price तथा Current Price पर क्रमशः 7.7 प्रतिशत तथा 9.8 प्रतिशत अनुमानित है।

22. महोदय, 'झारखण्ड को 2030 तक 10 ट्रिलियन रुपये की अर्थव्यवस्था' बनाने का लक्ष्य है।

23. मौजूदा कीमतों पर झारखंड का जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2022–23 में लगभग **4 ट्रिलियन (3,93,722 करोड़ रुपये)** रहा। सरकार का प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2029–30 तक इसे **10 ट्रिलियन (10 लाख करोड़)** रुपये का बनाया जाय। इसे वर्ष 2023–24 और 2029–30 के बीच प्रति वर्ष 14.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि सुनिश्चित करके हासिल किया जा सकता है। यह विकास समावेशी और टिकाऊ दोनों होगा।

24. झारखण्ड का विकास दर अब तक उक्त लक्षित विकास दर (14.2 फीसदी) से कुछ ही कम रहा है। झारखण्ड की वर्तमान कीमत पर जीएसडीपी वर्ष 2000–01 में **32,093 करोड़ (32 हजार 93 करोड़)** रुपये था, जो वर्ष 2000–01 और 2004–05 के बीच 12.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा और वर्ष 2004–05 और 2011–12 के बीच 12.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा।

25. वर्ष 2011–12 से 2022–23 के बीच राज्य की मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी 9.1 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा। इस अवधि के दौरान वर्ष

2015–16 में कमजोर मॉनसून, वर्ष 2019–20 में आर्थिक मंदी तथा वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी का विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन ग्यारह वर्षों में से पाँच वर्षो में आर्थिक विकास दर 14.2 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ा।

26. सभी प्रमुख कारक जो एक बड़ी जीएसडीपी सुनिश्चित करते हैं और उच्च विकास दर निर्धारित करते हैं, झारखंड में भी मौजूद हैं। झारखंड एक संसाधन संपन्न राज्य है। देश का लगभग 40 प्रतिशत खनिज भंडार इसी राज्य में स्थित है। इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है, जो कई मूल्यवान लघु वन उत्पादों (एनटीएफपी/एमएफपी) का स्रोत है। राज्य में पर्यटकों की रुचि के कई स्थान स्थित हैं। इस राज्य के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनने की क्षमता को और विकसित कर अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

27. राज्य के श्रमिक वर्ग काफी मेहनती होते हैं, जिन्होंने देश भर में कई परियोजनाओं और स्थानों के विकास में अपना योगदान दिया है। हमारी प्राथमिकता होगी कि झारखण्ड में हीं इन्हें अधिक–से–अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाय।

28. 14.2 प्रतिशत की लक्षित विकास दर राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके, बाहरी कारकों, विशेष रूप से सूखे के प्रभाव को निष्प्रभावी करके और विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करके हासिल की जाएगी। इस क्रम में ग्रोथ इंजन कृषि, उद्योग, भौतिक संरचनाओं का विकास, वित्तीय सेक्टर (बैंकिग एवं अन्य वित्तीय संस्थान आदि) का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा।

कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्र

29. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य की आर्थिक–संस्कृति आज भी मुख्यतः खेती–किसानी पर ही आधारित है। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा से राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण उनके आय में वृद्धि करना है।

30. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी सरकार ने झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से 4,62,000 **(4 लाख 62 हजार)** से अधिक किसानों के बीच **1,858 करोड़ (1 हजार 8 सौ 58 करोड)** रुपये की ऋण माफी की गयी। आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में ऋण माफी की **सीमा 50,000 (पचास हजार)** रुपये से बढ़ाकर **2,00,000 (2 लाख)** रुपये करने तथा NPA खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत् सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

31. **आदरणीय महोदय,** बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना को वित्तीय वर्ष 2023–24 में लागू कर लगभग 2,10,000 (2 लाख 10 हजार) किसानों को आच्छादित करते हुए अनुदान पर बीज वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजनान्तर्गत **80 करोड़** रुपये का प्रस्ताव है।

32. **आदरणीय महोदय,** वित्तीय वर्ष 2024–25 में मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में बंजर भूमि राईस फैलो उपयोजना एवं जलनिधि उपयोजना अन्तर्गत कुल 1,200 (बारह सौ) सरकारी/निजी तालाबों का गहरीकरण/जीर्णोद्धार एवं जल निधि उप योजना अंतर्गत कुल 1,500 (पन्द्रह सौ) डीप बोरिंग का कार्य एवं 4,000 (चार हजार) परकोलेशन टैंक निर्माण का कार्य कराने हेतु **380 करोड़** रुपये का प्रस्ताव है।

33. **आदरणीय महोदय,** खेती में कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्र वितरण योजना अन्तर्गत मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, पम्प सेट, रीपर, ट्रॉसप्लान्टर आदि का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में **200 करोड़ (दो सौ करोड़)** रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

34. **आदरणीय महोदय,** उद्यानिकी क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रुप में स्थापित करने एवं कृषकों के आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य उद्यान विकास की योजना को आगे बढ़ाते हुए इस योजना अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में हाईटेक नर्सरी सह हॉर्टी पार्क उपयोजना के माध्यम से राज्य के लगभग 40,000 से 50,000 (चालीस हजार से पचास हजार) कृषकों को उद्यानिकी फसलों का विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस उपयोजना हेतु **50 करोड़** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

35. **आदरणीय महोदय,** उद्यानिकी फसलों की खेती में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एकीकृत जल प्रबंधन के माध्यम से आधुनिक सिंचाई की व्यवस्था करने हेतु राज्य के कृषकों के अपने निजी भूमि पर शत–प्रतिशत सरकारी अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए **10 करोड़ (दस करोड़)** रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

36. **अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना** अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1,30,000 (1 लाख 30 हजार) लाभुकों को बकरा, सुकर, कुक्कुट तथा बत्तख की योजना से लाभांवित करने के लिए **200 करोड़ (दो सौ करोड़)** रुपये अनुदान की स्वीकृति दी गई, जिसमें से लगभग 45,000 (पैंतालिस हजार) लाभुकों का चयन पूर्ण करते हुए **12.18 करोड़ (12 करोड़**

18 लाख) रुपये उनके खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से डाले गये। योजना अभी संचालित है।

37. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में क्षति होने की स्थिति में फसलों की क्षति का आकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए **50 करोड़ (पचास करोड़)** रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

38. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में वेजफेड, सिदो–कानु सहकारी संघ लिमिटेड आदि सहकारी संस्था कार्यरत है, जो अपने–अपने प्रक्षेत्र में सहकारिता के प्रचार–प्रसार एवं विकास हेतु क्रियाशील है एवं इनके माध्यम से सभी प्रकार की समितियों को आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त फेडरेशनों के आधारभूत संरचना के विकास एवं प्रशिक्षण हेतु **83.89 करोड़ (83 करोड़ 89 लाख)** रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

39. **आदरणीय महोदय,** कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों तथा वनोपज के व्यापार से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर अनुसूचित जनजाति एवं ग्रामीणों को उनके द्वारा उत्पादित एवं संग्रहित उत्पादों का उचित पारिश्रमिक दिलवाने, उचित मूल्य दिलवाने आदि के उद्देश्य से सिदो–कानु कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड एवं जिला स्तरीय सहकारी संघ लिमिटेड का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिला स्तरीय सहकारी संघ लिमिटेड के लिए हिस्सापूँजी हेतु **24 करोड़ (चौबीस करोड़)** रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

40. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के छोटे कृषकों के लिए स्थानीय हाट/बाजारों में बिक्री हेतु जल्द क्षय होने वाले सब्जियों को सस्ते दर पर कम समय तक रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूर्णतः सौर उर्जा से संचालित 60 (साठ) ईकोफ्रेंडली सोलर मिनी शीत गृह का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में इन मिनी शीत गृह के निर्माण हेतु **24.59 करोड़ (24 करोड़ 59 लाख)** रुपये का बजटीय उपबंध किया गया है।

41. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में ग्रामीण एवं शहरी इच्छुक युवाओं को मछली पालन की विभिन्न विधाओं में सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने हेतु 3,50,000 (3 लाख 50 हजार) मेट्रिक टन मछली का उत्पादन कराने की योजना है।

42. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वर्ष में 2024–25 में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए **4,606.57 करोड़ (4 हजार 6 सौ 6 करोड़ 57 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास

43. **अध्यक्ष महोदय,** ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोतों को बढ़ाते हुए रोजगार सृजन एवं जीवन स्तर को ऊँचा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2023–24 में महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत 9 करोड़ अनुमोदित मानवदिवस के विरूद्ध अब तक कुल 9.39 करोड़ मानवदिवस का सृजन किया गया है। वर्ष 2024–25 में भी 9 करोड़ मानवदिवस सृजित करने का लक्ष्य है।

44. **अध्यक्ष महोदय,** सरकार की महत्त्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अनाच्छादित राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए की गई है, जिसमें लाभार्थियों को पाँच

किस्त में **2,00,000 (दो लाख)** रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में **2 लाख**, वित्तीय वर्ष 2024–25 में **3 लाख 50 हजार** एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में **2 लाख 50 हजार** को हजार परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में **4,831.83 करोड़ (4 हजार 8 सौ 31 करोड़ 83 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

45. वित्तीय वर्ष 2024–25 में 90 हजार परिवारों को ग्रामीण महिला उद्यमिता से जोड़ने का लक्ष्य है। फुलो–झानो आर्शीवाद अभियान के तहत् 32 हजार 6 सौ 76 महिलाएं हड़िया–दारू बिक्री छोड़कर सम्मानजनक वैकल्पिक आजीविका से जुड़ रही है। सखी मंडलों के उत्पादों को उचित मूल्य एवं आर्थिक सहायता देने के लिए पलाश–ब्रांड के तहत् विपणन लक्ष्य 10 करोड़ रखा गया है। राज्य में 6 बड़े शहरों में पलाश मार्ट निर्माण का प्रस्ताव है।

46. झारखण्ड जलछाजन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग 12 हजार 8 सौ 82 हेक्टर लैण्ड ट्रीटमेंट, 14 हजार 3 सौ 40 घन मीटर ड्रेनेज लाईन ट्रीटमेंट तथा 1 हजार 5 सौ 10 वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर इत्यादि का कार्य किया जाना है।

47. वर्ष 2024–25 में ग्रामीण विकास के लिए लगभग **11,316.07 करोड़ (11 हजार 3 सौ 16 करोड़ 7 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

जल संसाधन

48. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड राज्य का वृहत कृषि योग्य भू–भाग अपेक्षाकृत अधिक उँचाई पर रहने के कारण सिंचाई की सुविधा भू–भाग में उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना एवं पटमदा लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

पीरटांड प्रखंड में बराकर नदी पर वीयर का निर्माण कर भूमिगत पाईप लाईन के माध्यम से जल उद्‌वह कर पीरटांड प्रखंड में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार पूर्वी सिंहभूम के पटमदा आदि क्षेत्रों में भूमिगत पाईप लाईन से जल उद्‌वह सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

49. **अध्यक्ष महोदय**, पलामू जिलांतर्गत भूमिगत पाईपलाइन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों/जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त पलामू पाईपलाइन सिंचाई योजना हेतु लगभग **456.63 करोड़ (4 सौ 56 करोड़ 63 लाख)** रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना से पलामू जिलांतर्गत चैनपुर, मेदिनीनगर, सतबरवा, विश्रामपुर, छत्तरपुर, हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज आदि क्षेत्र के कृषक मुख्य रुप से लाभांवित होंगे। प्रस्तावित पाईपलाइन के दोनों तरफ 2 कि०मी० के दायरे में अवस्थित जलाशयों में आवश्यकतानुसार जल भरा जा सकेगा।

50. सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024–25 में जल संसाधन के लिए लगभग **2,238.06 करोड़ (2 हजार 2 सौ 38 करोड़ 6 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

पंचायती राज

51. **अध्यक्ष महोदय,** निर्वाचित जन प्रतिनिधियों यथा जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, मुखिया, उपमुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का मानदेय में बारह वर्षों के बाद पहली बार वृद्धि की गई है।

52. **अध्यक्ष महोदय,** 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान मद में **1,385 करोड़ (1 हजार 3 सौ 85 करोड़)** रुपये की राशि प्राप्त होने की संभावना है। उक्त

राशि से संबंधित संस्था 30 (तीस) प्रतिशत जलापूर्ति पर, 30 (तीस) प्रतिशत स्वच्छता पर एवं शेष 40 (चालीस) प्रतिशत का व्यय स्थानीय आवश्यकता की योजनाओं पर कर सकेगी।

53. पंचायती व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2024–25 में **2,066.08 करोड़ (2 हजार 66 करोड 8 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा

54. **अध्यक्ष महोदय,** वृद्धों, महिलाओं, बच्चों, किशोरियों, दिव्यांगजनो, भिक्षुकों तथा समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों का कल्याण तथा समाजिक सुरक्षा कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है।

55. **अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना** के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति आच्छादित किये गये हैं, किन्तु निःशक्त व्यक्तियों, आदिम जनजाति के व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं, HIV/AIDS से ग्रसित व्यक्तियों एवं ट्रान्सजेन्डरों/तृतीय लिंग व्यक्तियों के साथ–साथ 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले आर्थिक रुप से कमजोर सभी महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति/जाति के सभी व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल **3,107.40 करोड़ (3 हजार 1 सौ 7 करोड़ 40 लाख)** रुपये का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत लगभग 23,50,000 (23 लाख 50 हजार) लाभार्थी आच्छादित होंगे।

56. **अध्यक्ष महोदय,** इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के मद में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कुल **1,447.17 करोड़ (1 हजार 4 सौ**

47 करोड़ 17 लाख) रुपये का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है, जिससे लगभग 12,00,000 (बारह लाख) लोगों को पेंशन दिया जा सकेगा।

57. **अध्यक्ष महोदय,** सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों का अपना भवन हो, इसे राज्य सरकार सुनिश्चित करा रही है। इसी क्रम में सरकार वर्ष 2025 तक भवनहीन केन्द्रों में से 2,500 (2 हजार 5 सौ) आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण करायेगी। वर्त्तमान में 38,432 (38 हजार 4 सौ 32) केन्द्र संचालित है। कुल 7,687 (7 हजार 6 सौ 87) आँगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों के लिए टेबुल, कुर्सी के मद में कुल **280.17 करोड़ (2 सौ 80 करोड़ 17 लाख)** रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

58. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के आदिम जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आँगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण पर कुल **13.50 करोड़ (13 करोड़ 50 लाख)** रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

59. **अध्यक्ष महोदय,** गर्भवती महिलाओं एवं जच्चा–बच्चा के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक सामग्रियों का **1,500 (एक हजार पाँच सौ)** रुपये के मातृ किट् को 6 लाख लाभार्थियों के बीच वितरण कराया जायेगा। इस पर आगामी वर्ष में **90 करोड़** रुपये का प्रावधान राज्य सरकार कर रही है। किट् में मच्छरदानी, जच्चा एवं बच्चा हेतु पोशाक, तेल, साबुन बाल्टी–मग इत्यादि विभिन्न सामग्रियाँ होंगी।

60. **आदरणीय महोदय,** दिव्यांग कल्याणार्थ योजना के अंतर्गत **6.10 करोड़ (छः करोड़ दस लाख)** रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य के दिव्यांग बच्चों, परित्यक्त/निराश्रित/विधवा महिलाओं एवं वृद्धों के लिए विद्यालय/अनाथालय/आश्रम संचालन हेतु कुल **19 करोड़ (उन्नीस करोड़)** रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

61. **अध्यक्ष महोदय,** बालिकाओं एवं किशोरियों में उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित करने, बाल विवाह पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के निमित्त संचालित सावित्रिबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ग 8 से वर्ग 12 तक बच्चियों को **2,500 (2 हजार 5 सौ)** रुपये से **5,000 (5 हजार)** रुपये तथा 18–19 वर्ष की किशोरियों को एकमुश्त **20,000 (20 हजार)** रुपये तथा तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत युवतियों के विवाह पर एकमुश्त **30,000 (30 हजार)** रुपये आर्थिक सहायता हेतु कुल **468 करोड़ (4 सौ 68 करोड़)** रुपये का प्रावधान है।

62. **अध्यक्ष महोदय,** कामकाजी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में समुचित आराम, देखभाल के लिए आर्थिक मदद (प्रति लाभुक **5,000 (5 हजार)** रुपये की योजना मद में **92 करोड़ (92 करोड़)** रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे लगभग 1,90,000 (1 लाख 90 हजार) कामकाजी महिलाएँ लाभांवित होंगी।

63. **अध्यक्ष महोदय,** महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्ष 2024–25 में **8,021.93 करोड़ (8 हजार 21 करोड़ 93 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

शिक्षा प्रक्षेत्र

64. **अध्यक्ष महोदय,** प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार शिक्षा के प्रति न सिर्फ सजग एवं संवेदनशील है, बल्कि इसे बेहतर से बेहतर बनाने हेतु कृतसंकल्पित है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता में है।

65. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव पहल की गयी है। 80 उत्कृष्ट विद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023–24 से प्रारंभ किया गया है तथा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन आगामी शैक्षणिक सत्र 2024–25 से प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा सभी 325 प्रखंड स्तरीय विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2024–25 में प्रारंभ करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही 4,036 (4 हजार 36) पंचायत स्तरीय विद्यालयों को अगले 02 वर्षो में आदर्श विद्यालय के रुप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

66. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में अबतक कुल 190 विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा हेतु लैब अधिष्ठापित किये गये है, जबकि अन्य 130 विद्यालयों में लैब की अधिष्ठापना का कार्य प्रगति पर है। आगामी वित्तीय वर्ष में अन्य 117 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु लैब अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है। विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के बारे में बेहतर समझ विकसित करने तथा बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु आगामी वर्षों में भी विद्यालयों में विज्ञान लैब के अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है।

67. **अध्यक्ष महोदय,** माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत वर्ष 2023–24 में राज्य के कुल 140 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है। इससे राज्य के दुरस्थ क्षेत्रों के लगभग 15,680 (15 हजार 6 सौ 80) छात्र–छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी।

68. **मान्यवर,** झारखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था हेतु सामग्रियों को विकसित किया गया है। राज्य में जनजातीय भाषाओं में मुंडारी, कुडुख, हो, खड़िया एवं संताली तथा क्षेत्रीय भाषाओं में बांग्ला एवं उड़िया की पाठ्य–पुस्तकों का मुद्रण एवं

वितरण किया गया है। वर्त्तमान सत्र में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में कुल मांग के अनुरुप 54,000 (54 हजार) पाठ्य–पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण किया गया है।

69. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2024–25 में 1,000 (एक हजार) विद्यालयों के किचिन–सह–स्टोर की मरम्मति का कार्य किया जाएगा।

70. **मान्यवर,** राज्य के 1,000 (एक हजार) विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

71. **मान्यवर,** वित्तीय वर्ष 2023–24 में पहली बार राज्य के 259 विद्यालयों में मातृभाषा आधारित शिक्षण प्रक्रिया प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ की गई थी। इसके सकारात्मक फलाफल को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 में इसे राज्य के 07 जिलों के 1,000 (एक हजार) प्रारंभिक विद्यालयों में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

72. **मान्यवर,** उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में सुधार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृति योजना की पहल की है, जिसमें डिप्लोमा स्तर पर **15,000 (15 हजार)** रुपये प्रतिवर्ष एवं डिग्री स्तर के लिए **30,000 (30 हजार)** रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में लागू किया जायेगा।

73. **मान्यवर,** राज्य सरकार के द्वारा मेसर्स कॉमन सर्विस सेंटर–एसपीवी के साथ साझेदारी में विद्यार्थियों की ऑनलाइन शिक्षण को सक्षम बनाने के लिए एक राज्य–व्यापी लर्निंग मैनेजमेट सिस्टम (एलएमएस) विकसित किया जा रहा है।

एलएमएस में छात्रों की ऑनलाइन कक्षाओं, मूल्यांकन, प्रॉक्टरिंग और ग्रेडिंग की सुविधा होगी। यह छात्रों के ज्ञान में वृद्धि के लिए यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पाठयक्रमों को ऑनलाइन भी संचालित करेगा।

74. **मान्यवर,** विद्यार्थियों को बाजार प्रासंगिक पाठयक्रमों में प्रशिक्षित करने और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि के लिए उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्रों यथा Artificial Intelligence, Cloud Computing, AR/VR etc और बाजार मांग वाले सेवा यथा Retail, Hospitality, Financial Services आदि पर SPV(Special Purpose Vehicle) के माध्यम से बी०आई०टी० सिन्दरी में State Techonology Park की स्थापना का प्रस्ताव है।

75. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार ने राज्य में उन्नीस नए महाविद्यालयों (15 डिग्री महाविद्यालय तथा 04 महिला महाविद्यालय) स्थापित करने का निर्णय लिया है। 04 नये महिला महाविद्यालय बनाने से राज्य में प्रत्येक जिला सरकारी महिला महाविद्यालय से अच्छादित हो जायेगा।

76. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की परिकल्पना के अनुरुप पठन–पाठन सुनिश्चित करने तथा राज्य में GER को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के उद्देश्य से राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के मुख्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक पदों तथा पाठयक्रम संरचना का पुनर्गठन किया जा रहा है।

77. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए **12,314.21 करोड़ (12 हजार 3 सौ 14 करोड़ 21 लाख)** रुपये तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए **2,411.77 करोड़ (2 हजार 4 सौ 11 करोड़ 77 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

78. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार राज्यवासियों को सुलभ, सस्ते एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस हेतु प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाऐं उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना, नये नर्सिंग, फार्मेसी तथा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इस क्रम में पलामू, चाईबासा एवं दुमका में मनोचिकित्सा केन्द्र की स्थापना कर ली गई है। 21 जिलों में चलंत ग्राम क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है।

79. **मान्यवर,** राज्य सरकार Tertiary Health Care को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आगामी वर्षो में राजधानी राँची में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, रिम्स का सुदृढ़ीकरण तथा रिनपास के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर एक मेडिको सिटी की स्थापना करेगी।

80. **अध्यक्ष महोदय,** स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए **7,223 करोड़ (7 हजार 2 सौ 23 करोड़)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

पेयजल एवं स्वच्छता

81. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य के कुल 62,05,699 (62 लाख 5 हजार 6 सौ 99) ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल संयोजन (FHTC) के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध अबतक 31 लाख परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में शत्–प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य है।

82. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2024–25 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हेतु **4,686.67 करोड़ (4 हजार 6 सौ 86 करोड़ 67 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

83. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का सुगम संचालन एवं किसानों को ससमय उनके धान का मूल्य प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत क्रय किये गए धान से प्राप्त चावल से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को संचालित किये जाने के संबंध में Custom Milled Rice (CMR) का उपयोग प्रथम बार किया जा रहा है।

84. **मान्यवर,** भारत सरकार द्वारा लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत मुफ्त में खाद्यान्न वितरित किये जाने को दृष्टिगत् रखते हेतु दाल वितरण योजनांतर्गत प्रतिमाह एक किलोग्राम चना दाल, नमक वितरण योजनांतर्गत एक किलोग्राम नमक एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत प्रति लाभुक 5 किलोग्राम चावल मुफ्त में वितरित किये जाने का प्रस्ताव है।

85. **मान्यवर,** झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत लाभुकों को आच्छादित किये जाने का वर्तमान में निर्धारित लक्ष्य 20 लाख है, जिसे बढ़ाकर 25 लाख करने का प्रस्ताव है, ताकि किसी परिस्थिति में पात्र लाभुकों को खाद्यान्न के लाभ से वंचित न रहना पड़े।

86. जनवितरण प्रणाली दुकानदारों के कमीशन में वृद्धि हेतु विगत वर्षो से महंगाई दरों में हुए वृद्धि तथा जनवितरण प्रणाली संघो द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए जनवितरण प्रणाली दुकानदारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत देय डीलर कमीशन की

राशि **100** रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर **150** रुपये प्रति क्विंटल किये जाने का प्रस्ताव है।

87. 4G Network आधारित Electronic Point of Sale (ePoS) मशीनों के अधिष्ठापन हेतु राज्य अंतर्गत Aadhar Based Biometric Authentication के माध्यम से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में वर्तमान में कार्यरत 2G Network आधारित Electronic Point of Sale (ePoS) मशीनों के स्थान पर 4G Network आधारित Electronic Point of sale (ePoS) मशीनों के अधिष्ठिापन की कार्रवाई की जा रही है।

88. **अध्यक्ष महोदय,** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार को सोयबीन–बड़ी का वितरण किये जाने का प्रस्ताव है।

89. वर्ष 2024–25 में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए **2,860.27 करोड़ (2 हजार 8 सौ 60 करोड़ 27 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

90. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2023–24 में क्रियान्वित मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत युवक–युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिये जाने के लक्ष्य 1,40,000 के विरुद्ध लगभग 75,000 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त ऐसे युवक–युवतियाँ, जिन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हो सका है, को रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रुप में DBT के माध्यम से **2.45 करोड़ (2 करोड़ 45 लाख)** रुपये का प्रोत्साहन भत्ता निर्गत किया गया है।

91. **मान्यवर,** वर्ष 2024–25 में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण के लिए **1,053.27 करोड़ (1 हजार 53 करोड़ 27 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण

92. **अध्यक्ष महोदय,** छात्रावासों का निर्माण योजनांतर्गत उच्च शिक्षा ग्रहण करने के क्रम में अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निःशुल्क आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख शहरों में बहुमंजिला मॉडल छात्रावासों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जायेगा।

93. **अध्यक्ष महोदय,** मराड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से युनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्दन आयरलैंड में अवस्थित चयनित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स/एम०फिल० डिग्री ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

94. **मान्यवर,** राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के वर्ग 8 में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में शैक्षणिक निरंतरता को प्रोत्साहित करने एवं ड्रॉप आउट रेट (छीजन) रोकने के उद्देश्य से छात्र–छात्राओं को साईकिल वितरण किया जायेगा।

95. अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग कल्याण हेतु धार्मिक स्थल, शमशान तथा मसना की घेराबंदी एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जायेगा।

96. जनजातीय संस्कृति एवं उनकी समृद्ध विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से जनजातीय गाँवों में अखड़ा का निर्माण एवं उनके पारम्परिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति का प्रस्ताव है।

97. **मान्यवर,** अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछडा वर्ग कल्याण के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु बजट उद्व्यय **3,011.65 करोड़ (3 हजार 11 करोड़ 65 लाख) रुपये** था, जिसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में **3,523.55 करोड़ (3 हजार 5 सौ 23 करोड़ 55 लाख)** रुपये किया गया है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

98. **अध्यक्ष महोदय,** वन संवर्द्धन एवं संरक्षण के सतत् प्रयासों के कारण राज्य का वनावरण एवं वृक्षारोपण बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 34 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

99. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के वनों एवं संरक्षित क्षेत्रों यथा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी आश्रयणियों में अवस्थित प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों में ईको–टूरिज्म का विकास कार्य, मुख्यमंत्री जन–वन योजना, कैम्पा योजना तथा लघुवन पदार्थ का उन्नयन योजना आदि के माध्यम से वन क्षेत्र का कार्य किया जा रहा है।

100. वर्ष 2024–25 में वन विभाग के लिए **1,371.39 करोड़ (1 हजार 3 सौ 71 करोड़ 39 लाख) करोड़** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

पथ निर्माण

101. **अध्यक्ष महोदय,** आधारभूत संरचना का विकास न केवल अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है, वरन यह सामाजिक विकास और सांस्कृतिक उन्नयन का भी वाहक है। राज्य गठन के समय राज्य में पथों की कुल लम्बाई 5,400 (5 हजार 4 सौ) कि०मी० थी जो अब बढ़कर 14,131 (14 हजार 4 सौ 31) कि०मी० हो गई है। पथों का घनत्व वर्ष 2023–24 के प्रारम्भ में 173 कि०मी० प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर वर्त्तमान में 177 कि०मी० प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है।

102. **मान्यवर,** राज्य में पथों के विकास हेतु पथों के राईडिंग क्वालिटी में सुधार/मजबूतीकरण/चौड़ीकरण/पूलों के निर्माण आदि की कुल 152 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है।

103. **मान्यवर,** राजधानी राँची में ट्रैफिक को सुगम बनाने के उद्देश्य से पिछले तीन वर्षों में कई नई योजनायें प्रारम्भ की गई हैं। इनमें से राँची के सिरमटोली चौक से राजेन्द्र चौक तक फ्लाईओवर, कांटाटोली फ्लाईओवर, सहजानंद चौक से जज कॉलोनी तक फ्लाईओवर, मोरहाबादी पथ पर करमटोली–साइंस सिटी फ्लाईओवर तथा विकास विद्यालय से नामकोम तक फोरलेन पथ निर्माण योजनायें प्रमुख हैं।

104. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2024–25 में पथ, घनत्व बढ़ाने एवं Core Road Network Connectivity विकसित करने के निर्धारित लक्ष्य के तहत नये पथों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिनका उन्नयन न्यूनतम Intermediate lane Configuration के रुप में किया जाएगा। इसके अंतर्गत Greenfield Projects एवं Important Corridor का निर्माण तथा राँची शहर के लिए Inner Ring Road एवं अन्य Arterial/Feeder पथों के निर्माण का लक्ष्य है।

105. वर्ष 2024–25 में बाह्य सम्पोषित परियोजना के अन्तर्गत लगभग 469 कि०मी० पथ निर्माण प्रस्तावित है।

106. वर्ष 2024–25 में पथ निर्माण के लिए **6,398.28 करोड़ (6 हजार 3 सौ 98 करोड़ 28 लाख) रुपये** का बजट प्रस्तावित है।

ग्रामीण कार्य

107. **अध्यक्ष महोदय,** मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1,000 कि0मी0 पथ पूर्ण करने के लक्ष्य के विरूद्ध अबतक 887.04 कि०मी० पथ **602.48 करोड़ (6 सौ 2 करोड़ 48 लाख)** रुपये खर्च कर पूर्ण की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 1,000 कि0मी0 पथों के निर्माण का लक्ष्य है।

108. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत् पाँच वर्ष एवं उससे पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त लगभग 15,000 कि०मी० ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराते हुए ग्रामीण आबादी का सरकारी कार्यालय, स्कूल/कॉलेज, स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल, बाजार तक आवागमन सुगम बनाने का लक्ष्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में इसके अंतर्गत 5,000 कि०मी० पथों के सुदृढ़ीकरण करने का लक्ष्य है।

109. मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 70 अदद् पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिसके विरूद्ध अद्यतन 59 अदद् पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 70 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है।

110. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 2,500 कि०मी० पथ एवं 200 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है।

111. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2024–25 में ग्रामीण कार्य के लिए **5,114.03 करोड़ (5 हजार 1 सौ 14 करोड़ 3 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

नागर विमानन

112. **अध्यक्ष महोदय,** बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा 301.12 एकड़ भूमि का हस्तांतरण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारण के पक्ष में एक रुपये की टोकन लीज राशि पर तीस वर्षो के लिए किया गया है।

113. Regional Connectivity Scheme के तहत दुमका तथा बोकारो स्थित हवाई अड्डों से उड़ान प्रारंभ करने का कार्य अंतिम चरण में है। केन्द्र सरकार को लाईसेंस निर्गत करने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

114. आम जनता के लिए सस्ते दर पर Air Ambulance सेवा 24X7 संचालित की जा रही है।

115. राज्य में नागर विमानन क्षेत्र के उतरोत्तर विकास हेतु तथा सुगम संचालन के लिए झारखण्ड उड्डयन संस्थान नामक सोसाईटी का गठन किया गया है।

116. गिरिडीह स्थित बोड़ो हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के निमित्त भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है।

117. **अध्यक्ष महोदय,** नागर विमानन हेतु वर्ष 2024–25 में **112.93 करोड़ (1 सौ 12 करोड़ 93 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

ऊर्जा

118. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली आपूर्ति करना सरकार का लक्ष्य है। 100 यूनिट बिजली मुफ्त योजना के तहत राज्य के सभी घरेलू एवं शहरी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त का लाभ अगस्त, 2022 से दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लगभग 19,20,224 (19 लाख 20 हजार 2 सौ 24) उपभोक्ता उठा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को

100 यूनिट के स्थान पर 125 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली प्रदान करने पर स्वीकृति दी गयी है।

119. **मान्यवर,** झारखण्ड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्धता में वृद्धि हुई है। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं हेतु नये विद्युत संरचना का निर्माण भी किया गया है। पतरातु में चार हजार मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

120. **मान्यवर,** कोडरमा, चांडिल, बलियापुर, गोमिया एवं देवीपुर में ग्रिड सबस्टेशन के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जबकि सिमरीया, बड़कागांव, गोला, दुग्धा, महुदा, निरसा, गांवा, पुटकी, रामगढ़, विष्णुगढ़, पेटरवार एवं हंटरगंज में ग्रिड सबस्टेशन तथा संबंधित संचरण लाईन का निर्माण कराया जाना है।

121. **आदरणीय महोदय,** PM-KUSUM योजना अंतर्गत राज्य में सिंचाई कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में कृषकों को 20,000 (20 हजार) अद्द ऑफग्रिड सोलर पंप के वितरण एवं अधिष्ठापन किये जाने का प्रस्ताव है।

122. **अध्यक्ष महोदय,** गिरिडीह को मॉडल सोलर सिटी विकसित किया जा रहा है, जिसका दायरा वित्तीय वर्ष 2024–25 में शहर से बढ़ाकर संपूर्ण जिला में करने का प्रस्ताव है।

123. **अध्यक्ष महोदय,** विद्युत हमारे रोजमर्रा के जीवन और समग्र विकास की रीढ़ है। वर्ष 2024–25 में **9,378.49 करोड़ (9 हजार 3 सौ 78 करोड़ 49 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

उद्योग

124. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण ऐसा राज्य है जहाँ औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएँ हैं। राज्य सरकार अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण हेतु निरंतर प्रयासरत् है। इस क्रम में विभिन्न नई औद्योगिक नीतियों का सूत्रण किया गया है। यह प्रयास किया गया है कि राज्य में एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो, जिससे कि न सिर्फ राज्य में पूँजी निवेश का निरंतर प्रवाह बने, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए विभाग से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन निमित्त **435 करोड़ (4 सौ 35 करोड़)** रुपये प्रस्तावित है।

125. **अध्यक्ष महोदय,** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में 6,360 (6 हजार 3 सौ 60) युवक/युवतियों को PMEGP योजना के तहत स्वरोजगार हेतु लाभांवित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें लगभग 50,880 (50 हजार 8 सौ 80) लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग 6,400 (6 हजार 4 सौ) लोगों को योजनांतर्गत स्वरोजगार हेतु लाभांवित करने का लक्ष्य है, जिसमें लगभग 51,000 (51 हजार) लागों को रोजगार मिलने की संभावना है।

126. सिंगल विण्डो व्यवस्था के तहत निवेशकों को सभी प्रकार की आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाती है एवं ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। निर्धारित समय–सीमा एवं उद्योग स्थापित करने के निमित्त ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं अन्य सुविधा तथा पूँजीनिवेश के उद्देश्य से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार, गोष्ठियाँ, सिंगल विण्डो के माध्यम से आयोजित किया जा

रहा है। सिंगल विण्डो के संचालन हेतु आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राशि का प्रावधान किया गया है।

127. विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत इस वर्ष **20,710 करोड़ (20 हजार 7 सौ 10 करोड़)** रुपये का निवेश लाया जाएगा, जिससे यहाँ के 1,00,000 (एक लाख) लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिलने की संभावना है। औद्योगिक इकाईयों की देयता के निष्पादन एवं राज्य के औद्योगिक विकास तथा पूँजीनिवेश हेतु प्रक्षेत्रवार अधिसूचित नीति अंतर्गत स्थापित नये औद्योगिक इकाईयों को देय अनुदान/सब्सिडी निमित्त राशि का प्रावधान किया गया है।

128. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड तसर उत्पादन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 872 (8 सौ 72) मेट्रिक टन का उत्पादन हुआ। राज्य वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1,000 (एक हजार) मेट्रिक टन तसर रेशम उत्पादन के लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है। आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में रेशम प्रक्षेत्र में 1,500 (1 हजार 5 सौ) मेट्रिक टन तसर रेशम के उत्पादन का लक्ष्य है।

129. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार राज्य के बुनकरों, परंपरागत शिल्पियों एवं रेशम उत्पादन से जुड़े हुए राज्य के गरीब नागरिकों के स्वरोजगार के प्रति दृढ़ संकल्पित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बुनकर एवं शिल्पियों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 144 बुनकरों को बुनाई में एकवर्षीय उन्नत प्रशिक्षण तथा हस्तशिल्प के विभिन्न ट्रेडो में 270 शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है।

130. वित्तीय वर्ष 2024–25 में शिल्प उद्यमियों को सुदृढ़ करने के निमित्त शिल्पियों/शिल्प समूहों/शिल्प समितियों को कार्यशील पूँजी/अनुदानित दर पर मशीन एवं उपकरण/सेड निर्माण/कार्यशाला/एक्सपोजर विजिट/विपणन

सहायता आदि उपलब्ध कराने हेतु शिल्प उद्यमियों के सुदृढ़ीकरण की योजना संचालित की जाएगी।

131. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार ने उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक विकास हेतु राज्य मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग नीति, 2023 लागू किया है।

132. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में उद्योगों के विकास और विस्तार विशेषकर मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रधानता देते हुए वर्ष 2024–25 में उद्योग विकास के क्षेत्र के लिए **484.87 करोड़ (4 सौ 84 करोड़ 87 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

भवन निर्माण विभाग

133. **आदरणीय महोदय,** राज्य की राजधानी में माननीय विधायकों को समुचित आवासन की सुविधा प्रदान करने के निमित्त 70 आवासों के निर्माण हेतु **203.21 करोड़ (2 सौ 3 करोड़ 21 लाख)** रुपये की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे नवंबर, 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

134. वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु भवन निर्माण के लिए **883.23 करोड़ (8 सौ 83 करोड़ 23 लाख)** रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

नगर विकास एवं आवास

135. **अध्यक्ष महोदय,** प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत अब तक झारखण्ड राज्य के लिए कुल 2,11,010 (2 लाख 11 हजार 10) आवासीय इकाई स्वीकृत है, जिसमें से 1,14,102 (1 लाख 14 हजार 102) आवास पूर्ण किये जा चुके है एवं 78,032 (78 हजार 32) आवासीय इकाईयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

136. राँची में नई एवं उभरती तकनीक से Light House Project के तहत 1,008 आवासों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

137. अमृत 2.0 मिशन अंतर्गत 8 जलापूर्ति योजनाओं यथा कपाली, जामताड़ा, गुमला, बरहरवा, हहिरगंज, छत्तरपुर, श्रीवंशीधरनगर एवं लोहरदगा का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।

138. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेण्डर) को सहायता के तहत् 49 नगर निकायों में सर्वेक्षण के माध्यम से कुल 66,090 (66 हजार 90) पथ विक्रेताओं को चिन्हित कर 19,181 (19 हजार 1 सौ 81) को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब तक कुल 46,605 (46 हजार 6 सौ 5) पथ विक्रेताओं को Smart पहचान पत्र दिया जा चुका है।

139. नमामि गंगे योजना अंतर्गत राज्य में 300 कि०मी० तक बहनेवाली गंगा की सहायक नदी दामोदर को नमामि गंगे परियोजना में शामिल करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा फुसरो, रामगढ़ एवं धनबाद शहर हेतु Interception & Diversion आधारित Sewerage Treatment Plant परियोजना की स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत **68.75 करोड़ (68 करोड़ 75 लाख)** रुपये के लागत से फुसरो शहर के लिए Interception & Diversion तकनीक आधारित 14 MLD STP के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जिसे जनवरी, 2025 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। **310.11 करोड़ (3 सौ 10 करोड़ 11 लाख)** रुपये की लागत से रामगढ़ शहर के लिए Interception & Diversion तकनीक आधारित 40 MLD STP का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है एवं मार्च, 2026 में इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है। **858.86 करोड़ (8 सौ 58 करोड़ 86 लाख)** रुपये की लागत से धनबाद शहर के लिए Interception & Diversion तकनीक

आधारित 192 MLD STP के प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त है, जिस पर निविदा निष्पादन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

140. **महोदय,** शहरी जलापूर्ति योजना का प्राथमिकता से क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य संपोषित मद से चाकुलिया, लातेहार एवं गोड्डा शहरी जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण, चतरा, मझियाँव, कोडरमा, दुमका एवं देवघर शहरी जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन; बाह्य संपोषित मद से खूँटी एवं हुसैनाबाद शहरी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन, अमृत 2.0 मद से सिमडेगा शहरी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। साथ ही, कई शहरी क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति योजनांतर्गत निविदा/प्रशासनिक स्वीकृति का कार्य प्रगति पर है।

141. वर्ष 2024–25 में नगर विकास एवं आवास के लिए **3,429.86 करोड़ (3 हजार 4 सौ 29 करोड़ 86 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य

142. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड में पर्यटन की असीम संभावनाये हैं। पर्यटन–उद्योग स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी काफी उपयोगी है। इसलिए राज्य सरकार ने **राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए अलग से एक पर्यटन नीति का गठन किया है।**

143. नेतरहाट को एक Tourist Destination के रूप में विकसित करने हेतु Netarhat Tourist Development Authority का गठन किया गया है।

144. अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद आवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, कॉमन वेल्थ खेल एवं एशियन गेम के पदक विजेता खिलाड़ी जो अब व्यवहारिक तौर पर खेल में नहीं है, ऐसे झारखण्ड राज्य के

खिलाड़ियों को मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु झारखण्ड खिलाड़ी पेंशन योजना प्रारंभ की गई है।

145. राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियो को खेल प्रतियोगिता हेतु उचित मंच प्रदान करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन का प्रस्ताव है, जिसमें मुख्यतः Sports Action Towards Harnessing Aspiration of Youth तथा मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा।

146. राज्य में खेल–कूद को बढ़ावा देने हेतु सिदो–कानु युवा क्लब स्थापित किया गया है। सिदो–कानु युवा खेल क्लब गठन एवं संचालन मार्गदर्शिका के अधिसूचन के उपरांत नवंबर, 2023 तक ग्राम स्तर पर कुल 27,433 (27 हजार 4 सौ 33) एवं प्रखंड स्तर पर 130 सिदो–कानु युवा खेल क्लब का गठन किया जा चुका है।

147. वर्ष 2024–25 में पर्यटन विभाग के लिए **336.16 करोड़ (3 सौ 36 करोड़ 16 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस

148. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत राज्य की दो महत्वकांक्षी पॉलिसी यथा झारखण्ड IT, Data Center एवं BPO Investment Promotion Policy, 2023 तथा झारखण्ड स्टार्टअप पॉलिसी, 2023 को अधिसूचित किया गया है, जिससे राज्य के IT/ITeS एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में राज्य के युवक/युवितियों को उद्यमिता में काफी बढ़ावा मिलेगा।

149. **मान्यवर,** देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं एवं संसद में वर्तमान मैनुअल कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करने हेतु NeVA का विकास भारत सरकार द्वारा किया गया हैं। इस संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, सूचना

प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड विधान सभा के मध्य त्रिपक्षीय एकरारनामा किया गया है तथा परियोजना का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

150. जेसैक (Jharkhand Space Application Centre) द्वारा एक ड्रोन सर्वेक्षण इकाई स्थापित करने की योजना बनायी गयी है। यह इकाई राज्य में ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नोडल एजेंसी के रुप में कार्य करेगी। यह इकाई ड्रोन निगरानी एवं प्रशिक्षण केन्द्र के रुप में काम करेगी, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के साथ–साथ निजी संस्थाओं को सेवाएं देने के अलावा ड्रोन प्रौद्योगिकी की नवीनतम प्रगति पर शिक्षण एवं अनुसंधान भी किया जायेगा।

151. वर्ष 2024–25 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए **303.49 करोड़ (3 सौ 3 करोड़ 49 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

152. **अध्यक्ष महोदय,** भारत सरकार द्वारा राज्य के 13 उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आकस्मिक प्रकृति की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (Special Central Assistance) नामक योजना वर्ष 2017–18 में प्रारंभ की गई है। इस वित्तीय वर्ष के अंत में जो राशि प्राप्त होगी, उसका व्यय वित्तीय वर्ष 2024–25 में ही संभव हो सकेगा, जिसके लिए **150 करोड़ (1 सौ 50 करोड़)** रुपये की राशि प्रस्तावित है।

153. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के युवक जो वामपंथ उग्रवादियों के प्रभाव में आकर भटक गये है, उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, ताकि वे एक सामान्य जीवन जी सकें एवं राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें। जिन इलाकों को उग्रवाद के चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है, वहाँ विकास की गति में तेजी लायी जायेगी, ताकि उग्रवाद वहाँ दोबारा पैर नहीं पसार सके। जो

इलाके आज भी वामपंथ उग्रवाद से ग्रसित है, उन इलाकों को अभियान एवं विकास के माध्यम से वामपंथ उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त कराया जायगा।

154. पुलिस प्रभाग के लिए राज्य योजना मद में **327.93 करोड़ (3 सौ 27 करोड़ 93 लाख)** रुपये की राशि उपबंधित करने का प्रस्ताव है।

155. कारा से सबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना अंतर्गत **129.40 करोड़ (1 सौ 29 करोड़ 40 लाख)** रुपये की राशि उपबंधित करने का प्रस्ताव है।

156. राज्य की काराओं में क्षमता से अधिक बंदियों की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न काराओं की मरम्मति/चहारदिवारों का निर्माण/अतिरिक्त बंदी वार्ड का निर्माण/शौचालय/रसोईघर इत्यादि का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

157. कारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से काराओं के सृदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न आधुनिक सुरक्षा उपकरणों यथा IP CCTV/Electric Fencing/X-ray Baggage Scanner/ HHMD/DFMD/NLJD इत्यादि का क्रय/अधिष्ठापन कराया जायेगा।

158. वर्ष 2024–25 में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत हेतु प्रस्तावित बजट **924.55 करोड़ (9 सौ 24 करोड़ 55 लाख)** रुपये का है।

159. वर्ष 2024–25 में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन के लिए **9,527.20 करोड़ (9 हजार 5 सौ 27 करोड़ 20 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

योजना एवं विकास

160. **अध्यक्ष महोदय,** आपके माध्यम से सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि झारखण्ड देश का पहला राज्य है, जिसने न केवल आउटकम बजट के सूत्रण की प्रक्रिया में सतत् विकास लक्ष्यों को केन्द्र में रखा है, अपितु ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से वित्तीय वर्षवार आउटकम बजट के विरुद्व प्रगति प्रतिवेदन को भी सदन के पटल पर प्रस्तुत करता रहा है।

161. **अध्यक्ष महोदय,** योजना एवं विकास विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 से आउटकम बजट का सूत्रण किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कुल 13 विभागों का आउटकम बजट इस सदन के पटल पर लगातार चौथी बार प्रस्तुत किया जा रहा है।

162. वित्तीय वर्ष 2023–24 में 13 विभागों द्वारा **43,411 करोड़ (43 हजार 4 सौ 11 करोड़)** रुपये की राशि का परिणामी बजट (आउटकम बजट) सूत्रित किया गया था। आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में **49,610 करोड़ (49 हजार 6 सौ 10 करोड़)** रुपये का आउटकम बजट विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो विगत वर्ष की तुलना में 14.28 प्रतिशत अधिक है। परिणामी बजट के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 13 विभागों के 216 योजनाएँ क्रियांवित की जायेंगी। वित्तीय वर्ष 2023–24 की तुलना में योजना कम होने का मुख्य कारण कई विभागों में लघु योजनाओं को बड़ी योजनाओं में समाहित किया गया है। इसके अलावा वेतन एवं मानदेय भुगतान की योजनाओं को परिणामी बजट से हटा दिया गया है।

163. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य का कुल योजना आकार **79,782.70 करोड़ (79 हजार 7 सौ 82 करोड़ 70 लाख)** रुपये है, जिसमें

परिणामी बजट की राशि **49,610 करोड़ (49 हजार 6 सौ 10 करोड़)** रुपये है, जो योजना बजट का 62.2 प्रतिशत है।

164. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया गया है। बाल बजट तैयार करने का उद्देश्य राज्य में बच्चों के समुचित विकास के लिए समेकित प्रयास करना है तथा राज्य में बच्चों से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस वर्ष आउटकम बजट की कुल 216 योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 80 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है जिसमें कुल **8,866.69 करोड़ (8 हजार 8 सौ 66 करोड़ 69 लाख)** रुपये की राशि उपबंधित की गई है। यह राशि आउटकम बजट के अंतर्गत लिए गये योजनाओं के कुल उपबंधित राशि का लगभग 18 प्रतिशत है तथा राज्य के कुल योजना आकार का लगभग 11 प्रतिशत है।

165. झारखण्ड राज्य में परिवर्तन के लिए राजकीय संस्था (State Institution for Transformation of Jharkhand) की स्थापना की जायेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य समग्र विकास हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर समेकित एवं समावेशी विकास को कार्य रुप दिया जायेगा।

166. **अध्यक्ष महोदय**, विकास के लिए योजनाओं के अवधारण और सूत्रण के साथ–साथ विभिन्न प्रक्षेत्रों में क्रिटिकल गैप पूरा करने में योजना एवं विकास विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत **415.43 करोड़ (4 सौ 15 करोड़ 43 लाख)** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

167. **अध्यक्ष महोदय,** और अंत में, कहना चाहता हूँ कि काल की शाश्वतता में आज का यह कालखंड हमारे आने वाले भविष्य की नींव है। इसलिए आज हमने सदन के पटल पर केवल आय–व्यय का दस्तावेज ही नहीं रखा है, अपितु यह समस्त झारखण्ड वासियों के आज और कल की आशाओं और उम्मीदों की मूक अभिव्यक्ति को भी वाणी दी है। महोदय, कठिनाईयाँ और विषम परिस्थितियाँ मंजिल के लिए बाधा नहीं, बल्कि वे और ज्यादा दृढ़ प्रयास करने को प्रेरित और संकल्पित करती हैं।

चन्द्रोदय से पूरनमासी के सफर से आगे हमारी गठबंधन की सरकार समस्त झारखण्ड वासियों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि हम प्रगति और खुशहाली के उस पथ पर अग्रसर है, जहाँ विकास का सूरज कभी अस्त नहीं होता है।

है दृष्टि श्रेष्ठ प्रबंधन का
जल, जमीन और जंगल का
हर हाथ को मिले जब रोजगार
अबुआ आवास की छत–दीवार
कर संपदा का सही इस्तेमाल
बने झारखण्ड समृद्ध–खुशहाल
गूंजे स्वर मीठे हर कौम से
खुशियाँ बरसेंगी तब व्योम से
लें प्रण, सब मिलकर करें प्रयास
हर ''सोमरा–मंगरा'' का हो विकास।

जय हिन्द ! **जय झारखण्ड !** **जोहार !**